

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक: प.15/1/प्रारंभिक/2017

जयपुर, दिनांक:

21 NOV 2019

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों की समयावधि के सम्बन्ध में।


महोदय,

संयुक्त विद्यमानगत राजस्थान पंचायती राज नियम 1998 के नियम 259 के उप नियम 9 के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनांक 28.01.2017 द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जाकर उनके कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में दिनांक 11.04.2017 एवं 07.12.2017 को विस्तृत विज्ञान-निर्देश जारी किये गये।

पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहायता हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु इस विभाग के सम्मुख पत्र दिनांक 08.05.2018 से विज्ञान-निर्देश जारी किये गये थे।

अतः उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत सहायकों के कार्य सतोषजनक होने का प्रमाणीकरण एवं उपरोक्त प्रमाण पत्र पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से उनकी समयावधि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बढ़ाई जानी है।

यह पंचायती राज विभाग की सहमति से जारी किया जाता है।


(श. ज. पटिल)
शासन सचिव

email: aayukt.ele@gmail.com



☎: 0151-2226551

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


website: www.education.rajasthan.gov.in/elementary

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.स/एफ-2/ग्रा.प.स./2019

दिनांक: 21/11/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
02. समस्त संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि को उक्तानुसार पालना हेतु।


उपनिदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर